

## समयोपरि भत्ते के दावे का फार्म

दिनांक	कार्य दिवस या अवकाश	अवधि से तक	वास्तविक प्रभारित समय	एक घंटा का तथा कर्मों द्वारा देर से आने पर या दोपहर के भोजन जैसा भी मामला हो, वह समय काट कर, प्रभारित समय	दर प्रतिघंटा	दावा की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ..... (नाम व पदनाम) ऊपर अंकित प्रत्येक तिथि सामने दर्शाई गई अवधि में कार्यालय समय के बाद/रविवार को/अवकाश के दिन शासकीय कार्य के लिए ड्यूटी पर था। इस अवधि के दौरान मेरा वेतन तथा भत्ते इस प्रकार हैं -

वेतन रु..... मंहगाई भत्ता रु. .... नगर प्रतिकर भत्ता रु. ....  
कुल रूपये .....

..... रु की मंहगाई भत्ते की राशि का दावा (मासिक परिलब्धियों के एक तिहाई तक सीमित)

स्थान  
दिनांक

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम .....

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी जिनके मामले में समयोपरि भत्ते का दावा इस बिल में किया गया है उन्हें विशिष्ट आदेशों के तहत, अत्यावश्यक काम, जोकि लोकहित में अगले कार्यदिवस तक टाला नहीं जा सकता था, को पूरा करने के लिए दिनांक ..... को विहित घंटों के दौरान काम करने के बाद कार्यालय में देर से बैठना/रविवार या अवकाश ..... को कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक था ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में दावे की राशि, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का.ज्ञा.सं.15011/2-ई.।।।( 1 ) 76 दिनांक 11 अगस्त 1976 में अनुच्छेद 7 में निश्चित दरों के अनुरूप है तथा उसमें दिए गए सिद्धांतों के अनुसार है तथा उन आदेशों में विहित समयोपरि-आय की उच्चतम सीमा से अधिक नहीं हैं, वैयक्तिक स्टाफ को विहित उच्चतम सीमा से अधिक समयोपरि भत्ते की अदायगी पर, सम्बद्ध अधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी को समयोपरि कार्य करने के लिए कोई अन्य पारिश्रमिक ,सवारी खर्च या प्रतिपूरक छुट्टी नहीं प्रदान की गई है ।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर

**सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान  
चण्डीगढ़**

विषय - समयोपरि भत्ते के आधार पर काम की स्वीकृति ।  
Sanction of work on OTA Basis

निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्नांकित कार्य के संबंध में दिनांक..... को कार्यालय  
समय के पश्चात् .....से.....तक काम करने की आवश्यकता  
है.....  
.....

क्रम सं.	नाम	पदनाम
----------	-----	-------

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक मामले में काम अत्यावश्यक है जोकि जनहित में है तथा अगले कार्यदिवस तक टाला नहीं जा सकता ।

प्रमाणित किया जाता है कि काम सामान्य कार्य घंटों में पूरा नहीं किया जा सकता ।

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा की गई शनिवार/रविवार की ऊचूटी के बदले में प्रतिपूरक छुट्टी प्रदान करना संभव नहीं है ।

नियमानुसार स्वीकार्य समयोपरि स्वीकृत किया जाए ।

अनुभाग/प्रभागाधिकारी

स्वीकृत

प्रशासन नियंत्रक